राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स ,जेल रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक–29/04/2020

क/एनएचएम/एच.आर./2020/6174

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य में कोविड–19 महामारी संकट को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा सेम्स लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर निर्धारित किये गये मापदंड के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अतिरिक्त संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट के रूप में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिलों में कोविड–19 के नियंत्रण हेतु एक वर्ष की संविदा सेवा के लिए मासिक मानदेय 45000/–प्रतिमाह के आधार पर रखा जाता है:–

क.	अभ्यर्थी का नाम	आवंटित जिला
1	Mr. Vinod Kumar Yadav	Bhopal
2	Mr. Ashish Verma	Bhopal
3	Mr. Niraj Kumar	Indore
4	Mr. Ram Nivash Kushwaha	Indore
5	Mr. Dilip Kumar Singh	Ujjain
6	Mr. Tarique Parvez Ansari	Bhopal

संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. संविदा अनुबंध आदेश जारी दिनांक से 1 वर्ष तक के लिये होगा।
2. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सेवा अवधि बढ़ाने संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होगें। अतिरिक्त जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट कोविड–19 के नियंत्रण हेतु केवल 1 वर्ष की संविदा सेवा पर होगें। जो पूल के अन्तर्गत होगें एवं प्रदेश में हॉट स्पॉट डेव्लप होने पर आवश्यकतानुसार वहॉ भेजे जा सकेगें।
3. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा ।
4. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को उपस्थिति पश्चात 07 दिवस के अन्दर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
5. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
6. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा आदेश प्राप्त होने पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच– नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को उनके कर्तव्य स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
9. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को कोविड–19 के अन्तर्गत उनको आवंटित जिलें के अतिरिक्त हॉटस्पॉट पर भी भेजा जा सकेगा।
10. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा समाप्त हो जायेगा।
11. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के नियंत्रण के अधीन होगे।
12. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।

13. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

(स्वाति मीणा नायक)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

पृ.क / एनएचएम / एच.आर. / 2020 / 6175 भोपाल, दिनांक– 29 / 04 / 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव भारत, सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. जिला कलेक्टर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
6. अमेठी, फैजाबाद, गाजीपुर, ललितपुर (उत्तर प्रदेश) , सारन (बिहार) के जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / जिला डिप्टी कमिश्नर / पुलिस अधीक्षक कृपया संबंधितों के आवेदन पर ई–पास /ट्रेव्लस् पास जारी कर आवश्यक प्रशासनिक सहयोग हेतु।
7. संचालक वित्त एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी,एन.एच.एम. म.प्र.।
9. अपर संचालक, आईडीएसपी, मध्यप्रदेश।
10. म0प्र0 कोविड–19 नियंत्रण कक्ष प्रभारी, मध्यप्रदेश ।
11. उप संचालक, मानव संसाधन / लीगल. एनएचएम, मध्यप्रदेश।
12. उप संचालक आई.टी. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. उप संचालक, आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल, इंदौर, उज्जैन मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि संबंधित को आवश्यक होने पर वाहन एवं पास उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं अभ्यर्थियों के आवेदन के समय अपलोड दस्तावेजों की साफ्टकॉपी मेल के साथ उनके मूल दस्तावेजो के साथ मिलान हेतु भेजी जा रही है, उपस्थिति पश्चात् जानकारी इस कार्यालय को ईमेल ddhrnhm@mp.gov.in पर प्रेषित करें।
15. Mr. Gautamnath (MD & CEO), Strategic Alliance Management Service Pvt. Ltd, 1/1-B Ground Floor, Chaudhury Hetram House, Bharat Nagar, New Friends Colony, Near Mata Ka Mandir, New Delhi – 110025
16. संबधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला भोपाल, इंदौर, उज्जैन, एनएचएम मध्यप्रदेश।
17. सर्व संबंधितों की ओर पालनार्थ ।
18. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश